रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 18, 2001/वैशाख 28, 1923

No. 250] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 18, 2001/VAISAKHA 28, 1923

CENTRAL LIBRARY

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2001

सा.का.नि. 371(अ).—बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यो को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों से संबंधित कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 के साथ पठित व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है । उक्त अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमो पर उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध कराई जाती है, पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

किसी आक्षेप या सुझाव पर जो विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के भीतर उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

आक्षेप या सुझाव यदि कोई हो, सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं ।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यो को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2001 है ।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 अभिप्रेत है ;

(ख) "अपील बोर्ड" से अधिनियम की धारा 83 के अधीन स्थापित अपील बोर्ड अभिप्रेत है ।

3. वेतन - अध्यक्ष, प्रति मास छब्बीस हजार रुपए का वेतन पाने का हकदार होगा परंतु यह तब जबकि यदि अध्यक्ष उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीन रहा हो, तो वह प्रतिमास तीस हजार रुपए का वेतन पाने का हकदार होगा :

परंतु यह कि उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, 22,400-525-24,500/- रु0 के वेतनमान में होगा :

परंतु यह और कि ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हो और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के रूप मे सेवानिवृत्त हुआ हो या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो तथा पेंशन या उपदान या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप मे या सेवानिवृत्ति अभिदायो के अन्य रूप मे प्राप्त करता है या प्राप्त कर लिया है अथवा प्राप्त करने का हकदार हो जाता है, तो उसके वेतन में से पेंशन की सकल राशि या सेवा उपदान के समतुल्य राशि अथवा अभिदायी भविष्य निधि के नियोजक के अभिदान की राशि या सेवानिवृत्ति अभिदायो के अन्य रूप में, यदि कोई हो, की कटौती कर दी जाएगी, किन्तु उसके द्वारा ली गई या ली जाने वाली सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य वेतन को अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

4. महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारी के समतुल्य वेतन ले रहे अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता पाने के हकदार होंगे ।

5. छुट्टी - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य सेवा के प्रति वर्ष के लिए तीस दिन की उपार्जित छुट्टी के हकदार होंगे । छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 के उपबंधो के अधीन शासित होगा ।

6. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी - अध्यक्ष की दशा में, राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष या किसी सदस्य की दशा मे अध्यक्ष छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी होगा ।

7. भविष्य निधि - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने विकल्प पर साधारण भविष्य निधि में अभिदाय करने का हकदार होगा और उसके इस प्रकार विकल्प देने की दशा में, यह साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 के उपबंधों द्वारा शासित होगा ।

परंतु यह कि यदि अध्यक्ष, अपील बोर्ड में उसके कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो तो वह किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को लागू नियमो द्वारा शासित होगा ।

8. यात्रा भत्ता - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य जब वह भारत के भीतर दौरा पर हो या स्थानांतरण पर हो (आयोग में कार्यभार संभालने के लिए उसके स्वयं के और कुटुम्ब के द्वारा या आयोग में उसकी पदावधि के अवसान पर अपने कुटुम्ब के साथ नगर गृह को जाने के लिए की गई यात्रा सम्मिलित है) केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन पा रहे समूह 'क' अधिकारियों को लागू उन्हीं मापमानों और उन्हीं दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते और व्यक्तिगत चीजबस्त के परिवहन के हकदार होंगे ।

9. छुट्टी यात्रा रियायत - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन पा रहे समूह 'क' अधिकारियों को लागू उसी मापमान और उसी दर पर छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे :

परंतु यह कि यदि अध्यक्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है तो वह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लागू उसी मापमान और उसी दर पर छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा ।

10. वास-सुविधा - (1) अपील बोर्ड में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार में समतुल्य वेतन पा रहे किसी अधिकारी को अनुज्ञेय प्रकार की साधारण पूल वास-सुविधा से किसी शासकीय आवास का उपयोग करने का हकदार होगा ।

(2) जब किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य को, उपनियम(1) में निर्दिष्ट साधारण पूल वास सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है या वह स्वयं उसका उपयोग नहीं करता है तो उसे उसके स्थान पर उसके वेतन के साढे बारह प्रतिशत के बराबर किसी राशि का भत्ता प्रति मास संदत्त किया जा सकेगा ।

(3) जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अनुज्ञेय अवधि के परे किसी शासकीय वास-सुविधा का अधिभोग करता है तो वह, यथास्थिति, अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस या शास्ति भाड़े का संदाय करने का दायी होगा तथा केन्द्रीय सरकार (साधारण पूल वास-सुविधा) नियम, 1963 के अनुसरण में बेदखली का दायी होगा ।

11. परिवहन - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य शासकीय और प्राइवेट प्रयोजनों के लिए यात्रा के लिए, भारत सरकार के स्टाफ कार नियमों के अनुसरण में स्टाफ कार की सुविधा के हकदार होंगे ।

12. चिकित्सीय सुविधाएं - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, अभिदायी स्वास्थ्य सेवा स्कीम नियम, 1954 में यथाउपबंधित चिकित्सीय उपचार और अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे और उन स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा स्कीम प्रवर्तनशील नहीं है वहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 में यथाउपबंधित सुविधाओं के हकदार होंगे ।

13. सेवाओं की अन्य शर्तें - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य की सेवा की अन्य शर्तें जिनकी बाबत इन नियमों में कोई अभिव्यक्त रूप से उपबंध नहीं किया गया है ऐसी होंगी जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन पा रहा किसी समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय हैं ।

14. सदस्य के रूप में नियुक्ति का मूल सेवा से सेवानिवृत्ति - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोई सदस्य जो अपील बोर्ड में उसकी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में था तो वह अपील बोर्ड में अपनी नियुक्ति से पूर्व ऐसी सेवा से सेवानिवृत्ति लेगा ।

15. शिथिल करने की शक्ति - केन्द्रीय सरकार को, किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने की शक्ति होगी ।

[फा. सं. 14(2)/2000-पीपी एंड सी]

ए.इ. अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2001

G.S.R. 371(E).— The following draft of certain rules relating to the salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Chairman, Vice Chairman and other Members of the Intellectual Property Appellate Board, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999) read with section 22 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), is hereby published as required under sub-section (1) of section 157 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said draft rules within expiry of the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary tothe Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) , Udyog Bhawan, New Delhi- 110011.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the Intellectual Property Appellate Board (Salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice- Chairman and Members) Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions - In these rules, unless the context otherwise requires -

a) "Act" means the Trade Marks Act, 1999;

b) "Appellate Board" means the Appellate Board established under section 83 of the Act.

3. Pay- The Chairman shall be entitled to a pay of Rupees Twenty Six Thousand per month provided that if the Chairman has been a judge of the High Court, he shall be entitled to a pay of Rupees Thirty Thousand per month:

Provided that pay of Vice-Chairman and Members shall be in the scale of Rs.22,400-525-24,500/-:

Provided further that in the case of a person who is appointed as a Chairman, the Vice Chairman or a Member and has retired as a Judge of High Court or retired from service under the Central Government or a State Government and is in receipt of or has received or becomes entitled to receive any retirement benefits by way of pension or gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, his pay shall be reduced by the gross amount of pension or pension equivalent to service gratuity or employer's contribution to Contributory Provident Fund or other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent to retirement gratuity, drawn or to be drawn by him.

4. Dearness Allowances and City Compensatory Allowance- The Chairman, the Vice Chairman and a Member shall be entitled to dearness allowance and city compensatory allowance at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

5. Leave-The Chairman, the Vice Chairman or a Member shall be entitled to thrity days earned leave for every year of service. The payment of leave salary during leave shall be governed under the provisions of rule 40 of Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

6. Leave Sanctioning Authority-In the case of the Chairman, the President, and in the case of the Vice Chairman or a Member, the Chairman, shall be the leave sanctioning authority.

7. Provident Fund- The Chairman, the Vice Chairman or a Member shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund at his option and in case of his so opting, shall be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960:

Provided that if the Chairman, has been a judge of a High Court immediately before his joining the Appellate Board, he shall be governed by the rules which is applicable to a judge of a High Court.

8. Travelling allowances-The Chairman, Vice Chairman or a Member while on tour within India or on transfer (including the journey undertaken by self and family to join the Commission or on the expiry of term with the Commission to proceed to his home town with family) shall be entitled to the journey allowance, daily allowance and transportation of personal effects at the same scales and at the same rates as are applicable to a Group 'A' Officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

9. Leave travel concession-The Chairman, the Vice Chairman or a Member shall be entitled to leave travel concession at the same scale and at the same rate as applicable to Group 'A' Officers of the Central Government drawing an equivalent pay;

Provided that if the Chairman has been a Judge of a High Court he shall be entitled to leave travel concession at the same scale and at the same rate as applicable to a Judge of a High Court.

10. Accomodation:- (1) Every person appointed to the Appellate Board as a Chairman, the Vice Chairman or a Member shall be entitled to the use of an official residence from the general pool accommodation of the type admissible to an Officer drawing equivalent pay in the Central Government.

(2) When a Chairman, the Vice Chairman or a Member is not provided with or does not avail himself of the general pool accommodation referred to in sub-rule (1) he may be paid every month an allowance of an amount equal to Twelve and Half per cent of his pay in lieu thereof.

(3) Where the Chairman, the Vice-Chairman or a Member occupies an official residence beyond the permissible period he shall be liable to pay additional licence fee or penal rent, as the case may be, and liable to eviction in accordance with the Central Government (General Pool Accommodation) Rules, 1963.

11. Transport:- The Chairman, the Vice- Chairman or a Member shall be entitled to the facility of staff car for jouneys for official and private purposes in accordance with the staff car Rules of the Government of India.

12. Medical Facilities:- The Chairman, the Vice- Chairman or other Member shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Contributory Health Service Scheme Rules, 1954 and in places where the Central Health Services Schemes is not in operation, the Chairman, Vice Chairman and Members shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

13. Other conditions of services- Other conditions of service of the Chairman, Vice Chairman or a Member, with respect ot which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Group "A" Officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

14. Retirement from parent service on appointment as Member- The Chairman, the Vice Chairman and a Member who on the date of his appointment to the Appellate Board, was in service under the Central Government or a State Government, shall seek retirement from such service before his appointment to the Appellate Board.

15. Powers to relax :- The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

[F No. 14(2)/2000-PP&C]

A.E. AHMAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.